

प्रेषक,

सुखदेव सिंह,
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची/दुमका;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : 17-02-17

विषय :- मॉग संख्या-50- जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय लघु शीर्ष-101-सतही जल, उप शीर्ष-31-सर्वेक्षण एवं अनुसंधान परामर्श एवं मूल्यांकन, विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय विपत्र कोड 50P470200101310759 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रू. में)
1	2	3	4	5
1.	50- जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) / 4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	101-सतही जल / 31-सर्वेक्षण एवं अनुसंधान परामर्श एवं मूल्यांकन,	07-अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय विपत्र कोड 50P470200101310759	50.00

आवंटित राशि -₹ पचास लाख मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2016-17 के बजट उपबंध रू. 50.00 लाख (पचास लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1363(वि.) दि. 09.05.2016 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट 1 में वर्णित कार्यों के लिए किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
- आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।


(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

9. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
10. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
11. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
12. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 15 मार्च 2017 तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।


17/11/17
(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव


ज्ञापांक :-

267

राँची, दिनांक :- 17-02-17

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो.- हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/गढ़वा/हुसैनाबाद/हजारीबाग/रामगढ़/चतरा/गिरिडीह/देवघर/दुमका/गोड्डा/मेदिनीनगर/कोडरमा/धनबाद/बोकारो सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


17/11/17
(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव


ज्ञापांक :-


267


राँची, दिनांक :- 17-02-17

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त,/सचिव योजना एवं विकास विभाग/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता


(मुक्ति स्रीधर चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)


17/11/17
(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

पत्रांक - 267

/रॉची, दिनांक - 17-02-17

परिशिष्ट - 1

मॉग संख्या-50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)

मुख्य शीर्ष - 4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

लघु शीर्ष -101-सतही जल,

उपशीर्ष - 31-सर्वेक्षण एवं अनुसंधान परामर्श एवं मूल्यांकन,

विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय विपत्र कोड 50P470200101310759

बजट उपबंध (वर्ष 2016-17) रू. 50.00 लाख (पचास लाख) मात्र।

(राशि लाख में)

क्र.	कार्यालय का नाम	मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति		मार्च 2016 तक व्यय	वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति								
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, गढ़वा (GRHMIR001)	ल.सिं. रॉची / दुमका	लघु सिंचाई प्रमंडल, हुसैनाबाद (PLMMIR044)	लघु सिंचाई प्रमंडल, हजारीबाग (HZBMIR001)	लघु सिंचाई प्रमंडल, रामगढ़ (RGHMIR012)	लघु सिंचाई प्रमंडल, चतरा (CTRMIR001)	लघु सिंचाई प्रमंडल, गिरिडीह (GRDMIR001)	लघु सिंचाई रूपांकण प्रमंडल, दुमका शिविर देवघर (DGRMIR001)	लघु सिंचाई प्रमंडल, गोड़डा (GDDMIR014)	लघु सिंचाई प्रमंडल, मेदिनीनगर (PLMMIR041)	लघु सिंचाई प्रमंडल, कोडरमा (KDMMIRA01)	लघु सिंचाई प्रमंडल, धनबाद (DHNMIR001)	लघु सिंचाई प्रमंडल, बोकारो (BKRMIR001)	0.00	0.00	4.00	4.00	94981	
2	लघु सिंचाई प्रमंडल, हुसैनाबाद (PLMMIR044)													0.00	0.00	5.00	5.00	94983	
3	लघु सिंचाई प्रमंडल, हजारीबाग (HZBMIR001)													0.00	0.00	4.00	4.00	94988	
4	लघु सिंचाई प्रमंडल, रामगढ़ (RGHMIR012)													0.00	0.00	4.00	4.00	94989	
5	लघु सिंचाई प्रमंडल, चतरा (CTRMIR001)													0.00	0.00	4.00	4.00	94992	
6	लघु सिंचाई प्रमंडल, गिरिडीह (GRDMIR001)													0.00	0.00	4.00	4.00	94995	
7	लघु सिंचाई रूपांकण प्रमंडल, दुमका शिविर देवघर (DGRMIR001)													0.00	0.00	4.00	4.00	94997	
8	लघु सिंचाई प्रमंडल, गोड़डा (GDDMIR014)													0.00	0.00	4.00	4.00	94999	
9	लघु सिंचाई प्रमंडल, मेदिनीनगर (PLMMIR041)													0.00	0.00	5.00	5.00	95000	
10	लघु सिंचाई प्रमंडल, कोडरमा (KDMMIRA01)													0.00	0.00	4.00	4.00	95001	
11	लघु सिंचाई प्रमंडल, धनबाद (DHNMIR001)													0.00	0.00	4.00	4.00	95002	
12	लघु सिंचाई प्रमंडल, बोकारो (BKRMIR001)													0.00	0.00	4.00	4.00	95003	
योग						0.00	50.00	50.00											
आवंटित राशि - ₹ पचास लाख मात्र।																			

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

17/2/17